



57

286

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश) भोपाल

निगरानी-6367/2018/भोपाल/प्र.क. पुनरीक्षण याचिका क्र.....

1. शौकत सईद आत्मज स्व. श्री सईद खान
2. मोहम्मद सोहेल खान आ. मोहम्मद इस्माइल खान  
कृषक जैतपुरा तहसील बैरसिया जिला भोपाल  
निवासी- 44, नारियलखेडा भोपाल

.....

पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपर आयुक्त  
भोपाल

.....

उत्तरदाता

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रक.क्र. 42/अपील/15-16 शौकत सईद एवं अन्य वि. शासन मे पारित आदेश दिनांक 21.6.2018 से व्यथित होकर जानकारी दिनांक से पुनरीक्षणयाचिका समयअवधि मे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

*(Signature)*

अभिभावक श्री...  
द्वारा आज दिनांक... 16.11.2018  
को पेश।  
*(Signature)*



श.प्र. का.प्र.प.  
के.म.भोपाल  
पट.श.प.  
26/11/18

श.प्र.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6367/2018/भोपाल/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-12-2018	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री प्रवीण कोचर उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह प्रकरण सुनवाई हेतु अग्राह्य किया जाता है ।</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> अध्यक्ष</p>